[19/3/2020]

परिशिष्ट - 1

प्रश्न क्र. 452

प्रश्न सं. [क. 452]

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373] भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अगस्त 2013—श्रावण 28, शक 1935

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2013

क्र. एफ. 1-99-2009-1-उनसठ-आयुष.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) राजपत्रित सेवा भरती नियम 1987 को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश **आयुष विभाग** (राजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश **आयुष विभाग** (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(ख) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्त प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है शासन;

(ख) **"शासन"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(ग) **"आयोग"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(घ) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है, प्रतियोगिता परीक्षा जो कि सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती हो;

(ङ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

अनुसूची-तीन (नियम-8)

क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला आयुष अधिकारी/ प्राचार्य महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	-"-	27	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी में सी.सी.आई.एम./सीसीएच द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव। (ग) विधिद्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में सी.सी.आई.एम. /सीसीएच द्वारा मान्य आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी की स्नातकोत्तर उपाधिधारी को वरीयता।	
2	अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय		22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर 5 वर्ष का अनुभव। (ग) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में सी.सी.आई.एन. द्वारा मान्य आयुर्वेद की स्नातकोत्तर उपाधिधारी को वरीयता।	
3	विशेषज्ञ आयुर्वेद	-"-	22	40	क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद के किसी क्लीनिकल विषय में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक एवं यूनानी बोर्ड में पंजीकृत।	

क0	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना हैं	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
35	व्याख्याता (लेक्चरर) स्वस्थवृत्त	सहप्राध्यापक (रीडर) स्वस्थवृत्त	तदैव	तदैव
36	व्याख्याता (लेक्चरर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	सहप्राध्यापक (रीडर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	तदैव	तदैव
37	व्याख्याता (लेक्चरर) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	सहप्राध्यापक (रीडर) प्रसूति, तंत्र एवं स्त्री रोग	तदैव	तदैव
38	व्याख्याता (लेक्चरर) कौमार्य भृत्य	सहप्राध्यापक (रीडर) कौमार्य भृत्य	तदैव	तदैव
39	व्याख्याता (लेक्चरर) काय चिकित्सा	सहप्राध्यापक (रीडर) काय-चिकित्सा	तदैव	तदैव
40.	व्याख्याता (लेक्चरर) शल्य तंत्र	सहप्राध्यापक (रीडर) शल्य तंत्र	तदैव	तदैव
41	व्याख्याता (लेक्चरर) शालाक्य तंत्र	सहप्राध्यापक (रीडर) शालाक्य तंत्र	तदैव	तदैव
42	व्याख्याता (लेक्चरर) पंचकर्म	सहप्राध्यापक (रीडर) पंचकर्म	तदैव	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि खत्री, उपसचिव.